राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1104/2014/जयपुर

मैसर्स एच.सी.एल. इंफोसिस्टम्स् लि.,
सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया,
सोडाला, जयपुर. .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन–प्रथम, राजस्थान, जयपुर. .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक. .....अपीलार्थी की ओर से
श्री एन.के.बैद, उपराजकींय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 25/07/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के अपील संख्या 261/अपील्स–III/आरवैट/सी/जयपुर/2013–14 द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा आदेश पत्र पर दिनांक 12.07.2013 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 49 एवं 50 के तहत् कार्यवाही के दिए गए आदेशोपरान्त कोई निर्णय नहीं किया गया था।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, प्रतिकरापवंचन, वार्ड तृतीय, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे **"जांच अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का सर्वेक्षण किया जाकर स्मार्ट कार्ड के बिन्दु पर दिनांक 03.06.2013 को कर निर्धारण आदेश पारित कर मांग राशि का आरोपण किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध व्यवसायी द्वारा अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने स्थगन प्रार्थना पत्र को स्थगन आदेश दिनांक 10.07.2013 के द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वर्ष 2011–12 के लिए राशि रूपये 9,35,000/– का एवं बर्ष 2012–13 के लिए राशि रूपये 2,51,00,000/– का स्थगन प्रदान किया गया, एवं शेष राशि को वसूली योग्य माना। अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 10.07.2013 पारित करने के पश्चात् व्यवसायी द्वारा दिनांक 12.07.2013 को माननीय कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 38(4) के अन्तर्गत अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर कर निर्धारण अधिकारी को सूचित किये जाने के बावजूद कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.07.2013 पारित करते हुए शेष मांग राशि के संबंध में व्यवसायी के बैंक खाते को कुर्क करते हुए मांग राशि की वसूली कर ली। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 10.07.2013 के संबंध में माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ ने अधिनियम की

निरन्तर.....2

धारा 38(4) के अन्तर्गत आदेश दिनांक 03.09.2013 पारित करते हुए मांग राशि की वसूली हो जाने के कारण स्थगन प्रार्थना पत्र को निष्प्रभावी मानकर अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात् अपीलीय अधिकारी ने व्यवसायी की अपील पर आदेश पारित करते हुए आरोपित मांग राशि पर कोई टिप्पणी नहीं करते हुए आदेश दिनांक 15.05.2014 पारित कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अविधिक बताते हुए कथन किया कि प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कथित रूप से मांग वसूली में की गई आरोपित ज्यादती को प्रकाश में लाने एवं मांग वसूली प्रक्रिया में पत्रावली के आदेश पत्र पर किये गये विवरण को चुनौती दी गई थी जिसमें मुख्य रूप से यह आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 की मांग वसूली को स्थगन हेतु कर बोर्ड में आवेदन दिनांक 12.07.2013 लम्बित होने एवं सुनवाई तिथि दिनांक 15.07.2013 को नियत होने के बावजूद भी एवं यह तथ्य परिज्ञान में लाने पर भी दिनांक 12.07.2013 के आदेश पत्र में वसूली करने के आदेश दिए गए एवं कुर्की से वसूली की गई। उक्त आदेश पत्र दिनांक 12.07.2013 के विरूद्व प्रस्तुत अपील का निर्णय दिनांक 15.05.2014 से किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि माननीय कर बोर्ड के समक्ष लम्बित स्थगन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण दिनांक 03.09.2013 को कर दिया गया है एवं उस आदेश में कर निर्धारण अधिकारी की वसूली कार्यवाही को अपीलार्थी से व्यक्तिगत द्वेष इंगित करना बताया था एवं कर निर्धारण अधिकारी की कार्यवाही से अप्रसन्नता को व्यक्त की गई थी।

7. अपीलीय अधिकारी द्वारा कर बोर्ड की खण्डपीठ के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कर बोर्ड द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के विरूद्ध की गई टिप्पणियों के प्रकाश में और कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं मानी। अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश त्रुटिविहिन है क्योंकि वसूली कार्यवाही के दौरान अपनायी गई प्रक्रिया पर कर बोर्ड द्वारा पूर्व में टिप्पणी की जा चुकी थी एवं इन आरोपों को प्रशासनिक स्तर पर ही उठाया जा सकता है, क्योंकि दिनांक 12.07.2013 का आदेश पत्र केवल वसूली प्रक्रिया की कार्यवाही से संबंधित है इसमें कोई विधिगत निर्णय नहीं दिया गया है। उक्त तथ्यों के अधीन एवं कर बोर्ड के आदेश के आलौक में अपीलीय अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश उचित है एवं इसमें और किसी तरह के निर्णय की आवश्यकता नहीं होने से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के.एल.जैन)
सदस्य